

पूर्व मध्य रेल
EAST CENTRAL RAILWAY



कार्यालय
महाप्रबंधक(का)
हाजीपुर

RBE No. 23/2023

PCPO's SI No.23/2023

No.ECR-HQ0PERS (RULE)/9/2023 Com.No.207408)

1. CAO (Con.)/उत्तर एवं दक्षिण/पटना।
2. सभी PHOD/CHOD/पूमरे/हाजीपुर।
3. DRM/पूमरे/दानापुर, डीडीयू, धनबाद, सोनपुर एवं समस्तीपुर।
4. मुख्य कार्मिक अधिकारी/प्रशासन/पूमरे/हाजीपुर।
5. मुख्यालय के सभी कार्मिक अधिकारी।
6. CWM/पीडी/डीडीयू, यांत्रिक कारखाना/समस्तीपुर एवं हरनौत।
7. Sr.DPO/पूमरे/दानापुर, डीडीयू, धनबाद, सोनपुर एवं समस्तीपुर।
8. उप महाप्रबंधक/विधि/पटना।
9. प्राचार्य/क्षेत्रीय रेल प्रशिक्षण संस्थान/मुजफ्फपुर एवं भूली।
10. सभी मुकार्याधी/कार्याधी/पूमरे/हाजीपुर।

विषय:-Fixation of pay of disabled/medically unfit running staff on being appointed against alternative(Stationary) posts in revised(7th CPC) pay structure.

संदर्भ:-Railway Board's letter No.-E(NG)I-2018/RE-3/3 Dated-02.02.2023.

विषयांकित से संबंधित संदर्भित पत्र की छायाप्रति सूचना, मार्गदर्शन एवं अग्रेत्तर आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित की जा रही है।

A copy of above referred letter on the subject matter is being forwarded herewith for information, guidance and needful onward action please.

DA: As above.

Digitally Signed by Manoj

(मनोज कुमार चौधरी)

Date: 16-03-2023 18:40:18

सकाधि/ईएसएन

कृते महाप्रबंधक (का)/हाजीपुर

प्रतिलिपि/— निम्नलिखित को सूचनार्थ, मार्गदर्शन एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित:-

1. महासचिव/ईसीआरकेयू/पूमरे/हाजीपुर।
2. महासचिव/एस.सी.एवं एस.टी.एशोसिएशन/पूमरे/हाजीपुर।
3. सकाधि(एम.पी.पी.)/पूमरे/हाजीपुर-कृपया इसे वेबसाइट पर अपलोड करें।
4. महासचिव/ओ.बी.सी.एशोसिएशन/पूमरे/हाजीपुर।

**भारत सरकार/GOVERNMENT OF INDIA
रेल मंत्रालय/MINISTRY OF RAILWAYS
(रेलवे बोर्ड/RAILWAY BOARD)**

No. E(NG)I-2018/RE-3/3

New Delhi, dated 02.02.2023

**The General Managers (P),
All Zonal Railways & Production Units, etc.
(As per standard list)**

**Sub: Fixation of pay of disabled/medically unfit running staff on being appointed
against alternative (stationary) posts in revised (7th CPC) pay structure.
Ref: Board's letter No.E(NG)I-2018/RE-3/3 dated 14.10.2019 (RBE 171/2019).**

As the Railway administrations are aware, instructions contained in Railway Board's instructions of even number dated 14.10.2019 (RBE 172/2019) inter alia provides that while fixing the pay of a medically decategorised running staff in an alternative stationery post, if the resultant pay (after 30 % addition) does not correspond to any cell, in the same pay level, then the pay will be fixed in the next below cell of the same pay level, and difference in pay will be protected as personal pay which will be adjusted in future increment(s).

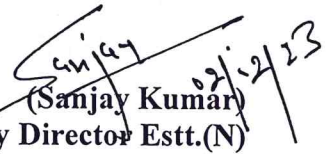
During the separate discussions held by Member (Finance) with Federation (AIRF) on 10.01.2023 on PNM/AIRF Item No. 26/2021, it has been brought to Board's notice by AIRF that the provisions contained in the aforesaid instructions are not being complied with by certain Railways, and, therefore, it was decided that the same be reiterated.

The instructions issued vide RBE No. 171/2019 are accordingly hereby reiterated for strict compliance.

The Hindi version will follow

Please acknowledge receipt.

Encl: Nil.


(Sanjay Kumar)
Deputy Director Estt.(N)
Railway Board
Tele No. 23303658

तीसरा तल, कमरा नं. 359-A, रेल भवन, नई दिल्ली-110001, ई-मेल sanjay.kumar6@gov.in

*mail, railways
3/2/2023*

भारत सरकार/GOVERNMENT OF INDIA
रेल मंत्रालय/MINISTRY OF RAILWAYS
(रेलवे बोर्ड/RAILWAY BOARD)

सं. ई(एनजी)I-2018/आरई-3/3

आरबीई सं. 23/2023
नई दिल्ली, दिनांक: 02.02.2023

महाप्रबंधक (कार्मिक),
सभी क्षेत्रीय रेलें और उत्पादन इकाइयां आदि।
(मानक सूची के अनुसार)।

विषय: संशोधित (7वें केंद्रीय वेतन आयोग) वेतन संरचना में वैकल्पिक (स्थिर) पदों पर नियुक्त किए जाने पर दिव्यांग/चिकित्सकीय रूप से अयोग्य रनिंग स्टाफ के वेतन का निर्धारण।

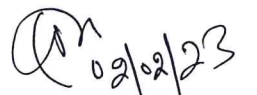
संदर्भ: बोर्ड का दिनांक 14.10.2019 का पत्र सं.ई(एनजी)I-2018/आरई-3/3 (आरबीई 171/2019)

जैसा कि रेल प्रशासन को ज्ञात है, रेलवे बोर्ड के दिनांक 14.10.2019 (आरबीई 171/2019) के समसंख्यक अनुदेशों में अंतर्विष्ट अनुदेशों में अन्य बातों के साथ-साथ यह प्रावधान है कि वैकल्पिक स्थिर पद में चिकित्सकीय रूप से विकोटिकृत रनिंग स्टाफ का वेतन निर्धारण करते समय, यदि परिणामी वेतन (30% जोड़ने के बाद) उसी पे-लेवल में किसी भी सेल के अनुरूप नहीं है, तो वेतन उसी पे-लेवल के अगले नीचे की सेल में निर्धारण किया जाएगा और वेतन में अंतर को व्यक्तिगत वेतन के रूप में संरक्षित किया जाएगा जिसे भविष्य की वेतनवृद्धियों में समायोजित किया जाएगा।

दिनांक 10.01.2023 को फेडरेशन (एआईआरएफ) के साथ सदस्य (वित्त) द्वारा पीएनएम/एआईआरएफ मद संख्या 26/2021 पर आयोजित अलग से विचारविमर्श के दौरान एआईआरएफ द्वारा बोर्ड के ध्यान में लाया गया है कि उक्त अनुदेशों में अंतर्विष्ट प्रावधानों का कुछ रेलों द्वारा अनुपालन नहीं किया जा रहा है और, इसलिए यह निर्णय लिया गया कि इन्हें दोहराया जाए।

तदनुसार आरबीई संख्या 171/2019 द्वारा जारी किए गए अनुदेशों को सख्त अनुपालन के लिए दोहराया जाता है।

कृपया पावती दें।
संलग्नक : कोई नहीं


(संजय कुमार)
उपनिदेशक स्थापना (अराजपत्रित)
रेलवे बोर्ड
टेलीफोन नं. 23303658